संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462 004.

क्रमांकः प्रशा/2/राज/ए/04/ 217 भोपाल, दिनांक 11-2-04

प्रति,

प्राचार्य,
समस्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय,
समस्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः–सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति।
संदर्भः– मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग का आदेश क्रमांक:एफ 1–73/03/42–1, दिनांक 25–9–03.

मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश दिनांक 25–9–2003 के द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति देने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं उक्त नियमों में शासन ने उनके समसंख्यक आदेश दिनांक 9–11–99 में बनाई गई व्यवस्था में संशोधन करते हुये अब संचालक तकनीकी शिक्षा को संविदा नियुक्ति दिये जाने हेतु अधिकृत किया है ।

पूर्व में यह देखा गया है कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के संविदा नियुक्ति देने संबंधी प्रस्ताव संस्थाओं से अपूर्ण रुप से प्राप्त होते हैं। अतः निवेदन है कि भविष्य में सेवानिवृत्त शिक्षकों के संविदा नियुक्ति के प्रस्ताव, (आवेदकों से) संलग्न निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त कर प्राचार्य की स्पष्ट अनुशंसा सहित मय सहपत्रों के प्रत्येक उपसत्र (Semester) के प्रारंभ होने के पूर्व संचालनालय तकनीकी शिक्षा को प्रेषित किये जावें । प्राचार्य ऐसे समस्त आवेदनो की जानकारी संलग्न प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2 में भी आवश्यक रुप से देवें, तभी आवेदनों पर समुचित कार्यवाही संभव हो पावेगी ।

<u>संलग्न :–</u>

1. शासन का संदर्भित आदेश .
2. सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रोफार्मा.
3. सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति हेतु प्राचार्य द्वारा जानकारी भेजने बाबत् प्रपत्र–1 एवं प्रपत्र–2

11/2/04
(डा० एस.एम. भाटिया)
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश शासन

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

क्रमांक–एफ–1–73/03/42–1, /भोपाल,दिनांक 25 सितम्बर 03

प्रति,

संचालक

तकनीकी शिक्षा

म0प्र0,भोपाल।

विषयः–प्रदेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में रिक्त पदों की व्यवस्था के लिये सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति करने बाबत्।

संदर्भः–आपकी एकल नस्ती क्रमांक–राज/2/2202/बी/222/686,दिनांक 21.4.2003

राज्य शासन द्वारा प्रदेश की तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में विद्यमान रिक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं यह देखते हुए कि इन रिक्तियों के कारण तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य के सुचारू रूप से संचालन में कठिनाई आ रही है, संस्थाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त शिक्षकों को संविदा नियुक्ति देने का निर्णय विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9.11.1999 द्वारा लिया गया है। इस आदेश में बतायी गयी व्यवस्था में अब निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

(1) तकनीकी शिक्षा सेवानिवृत्त शिक्षकगणों की निश्चित अवधि के लिये सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक,प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण) के परिपत्र क्रमांक–सी 3–33/49/3/89,दिनांक 23.12.89 एवं क्रमांक–सी 3–23/90/3/49,दिनांक 20.7.1990 द्वारा जारी सामान्य शर्तें एवं परिशिष्ट–1 में उल्लेखित मापदण्ड के अनुसार संविदा नियुक्ति संचालक तकनीकी शिक्षा द्वारा निम्नानुसार शर्तों पर दी जायेगीः–

1/– इनका सेवाकाल सामान्यतः शिक्षण सत्र समाप्ति (जिसमें वेकेशन सम्मिलित न होगा) तक रहेगा। वैकल्पिक व्यवस्था होने पर अथवा कार्य पर न आने, स्वास्थ्य खराब होने, कार्य दक्षता में कमी आने, आदि पर ऐसे अनुशंसित शिक्षक को न्यूनतम एक माह का नोटिस अथवा एक माह की उपलब्धियॉं देकर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

2/– ऐसे अनुबंधित शिक्षक को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त केवल सार्वजनिक/रविवार का अवकाश देय होगा।

3/– संविदा नियुक्ति 65 वर्ष की आयु के बाद नहीं दी जायेगी।

4/– सेवानिवृत्त शिक्षकों की नियुक्ति करते समय यह भी ध्यान रहे कि ऐसी संस्थायें जहॉं अत्यधिक रिक्तियॉं है और कोई सेवानिवृत्त शिक्षक ऐसी संस्था में अपनी सेवायें देना चाहता है तो उसे प्राथमिकता के आधार पर ऐसी संस्था में जहॉं रिक्तियॉं अधिक है,में पदस्थ करने की व्यवस्था करें। अभिप्राय यह होगा कि सेवानिवृत्त अधिकारी की सेवायें उसी संस्था में ली जाय, जहॉं से वे सेवानिवृत्त हो, ऐसा आवश्यक नहीं होगा।

क्रमशः..................2/–

का प्रश्न भी समय रहते निर्धारित हो सके। सेवानिवृत्त एसे शिक्षकों की सूची (पेनल) तैयार की जाय। चयन के मापदण्ड वही रहेंगे, जो सत्रावसान तक पुर्ननियुक्ति के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित किए गए थे। नियुक्ति के पश्चात् स्वास्थ्य एवं कार्यक्षमता का निर्णय संबंधित प्राचार्य के विवेक पर आधारित होगा तथा किये गये कार्य की गुणवत्ता के आंकलन के मापदण्ड वही रहेंगे जो अन्य शिक्षकों के कार्य मूल्यांकन के लिये लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामसे
तथा आदेशानुसार

हस्ता/–
(एस0बी0एस0 भदौरिया)
अवर सचिव
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

पृ0क्रं0–एफ–1–73/03/42–1 /भोपाल,दिनांक 25 सितम्बर 03

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषितः–

1. समस्त प्राचार्य,इंजीनियरिंग महाविद्यालय/समस्त पोलीटेकनिक महाविद्यालय एवं महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय,मध्यप्रदेश।
उक्त आदेशों का पालन तत्काल करें।

हस्ता/–
अवर सचिव
तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

द्वारा:– प्राचार्य,————————————————————

विषय:– ... संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन।

महोदय,

मैं मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक :एफ 1–73/03/42–1, दिनांक 25–9–03 द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षको का संविदा नियुक्ति हेतु किये गये प्रावधान के तहत संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन कर रहा हूं।

मेरा विस्तृत बायो–डाटा एवं आवेदन निम्नानुसार है :–

1. नाम :
2. पदनाम जिससे सेवानिवृत्त हुए है :
3. संस्था का नाम :
4. जन्मतिथि :
5. सेवानिवृत्त की तिथि :
6. आवेदन की तिथि को आयु :
7. स्वास्थ संबंधी सिविल सर्जन का प्रमाण–पत्र मूल रुप से. :
8. पद जिसके लिए संविदा नियुक्ति चाही गयी है. :
9. अवधि जिसके लिये संविदा नियुक्ति चाही गई है. :
10. संस्था जहां संविदा नियुक्ति चाही गयी है. :
11. सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कुल परिलब्धियॉ. :
12. श्रेणी : सामान्य/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग कल्याण.
13. शैक्षणिक अर्हता :

योग्यता	श्रेणी	प्रतिशत	अभ्युक्ति

14. अन्य उपलब्धियॉ :
15. विशेष योगदान :

18. दूरभाष क्रमांक :

मैं यह वचन देता हूं कि मनें उक्त संदर्भित आदेश एवं उसमें उल्लेखित अन्य आदेशों में निहित समस्त नियमों एवं अनुदेशों का भली–भांति अध्ययन कर लिया है और मैं उक्त आदेशों में निहित शर्तो के अधीन संविदा नियुक्ति पर कार्य करने हेतु सहमत हूं ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार
दिनांकः

भवदीय,
हस्ताक्षर
नाम ----------------------------

प्राचार्य का अभिमत

श्री / श्रीमती -------------------------------------- के सेवानिवृत्ति के उपरांत संविदा नियुक्ति के उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में टीप निम्नानुसार है :–

मेरे द्वारा संदर्भित आवेदन में दी गई जानकारी को मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश क्रमांक एफ / 1–73 / 03 / 42–1, दिनांक 25 सितम्बर, 03 में निहित शर्तो एवं परिशिष्ट–1 में दिये गये मापदण्डों के अनुसार कर लिया गया है एवं उक्त संविदा नियुक्ति हेतु पात्र / अपात्र हैं ।

दिनांक

(हस्ताक्षर)
प्राचार्य का नाम-----------
संस्था का नाम-----------
स्टेम्प

सेवानिवृत्त शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की व्यवस्था

1. शिक्षकों को अनुबंधित उसी स्थिति में किया जायेगा जब उपलब्ध शिक्षकों द्वारा पूरा टीचिंग लोड लेने पर भी शिक्षण कार्य पूरा न किया जा सके।
2. किसी विषय विशेष के शिक्षक उपलब्ध न होने पर ऐसे विषय के लिये ही शिक्षक को अनुबंधित किया जाय।
3. यह अस्थायी व्यवस्था उस समय तक के लिये होगी जब तक अन्य स्थायी व्यवस्था नहीं हो जाती।
4. ऐसे अनुबंधित शिक्षक का पदनाम वही होगा, जिस पद से वह सेवानिवृत्त हुआ है। प्राचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक का पदनाम प्राध्यापक/विभागाध्यक्ष होगा।
5. ऐसे अनुबंधित शिक्षक (भले ही वे किसी भी पद से सेवानिवृत्त हुए हो) की ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित वर्कलोड के आधार पर अध्यापन एवं अन्य निर्धारित कार्य करना होगा।

हस्ता/–

(एस0बी0एस0 भदौरिया)

अवर सचिव

तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग

Anita/TSS.doc/2/11/04/3:06 AM